



न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल न्यायालयर केंप सागर मोग्रो

निशान्त जैन बल्द श्री विजय कुमार जैन

मोतीनगर बाड़ सागर

पुनरीक्षणकर्ता

!! विरुद्ध !! I/मिसानी/मागर/शुक्र/2018/0692

B.o.R.
रामरामीग बल्द राजस्वतन
27 DEC 2018

2- तखतसीग बल्द राजस्वतन

3- करनसीग बल्द राजस्वतन

4- अनीता पुत्री राजस्वतन

श्री बाई पुत्री राजस्वतन

साक्षी साक्षिं घाम पाठन तहसील व जिला सागर

रेस्पाइक्ट

ता० प्रस्तुति

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व खंड 1959 :-

पुनरीक्षणकर्ता पुष्टिकरण प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान अनुविभागीय अधिकारीमहोदय सागर के अपील प्रकारण क्रमांक 107 31/6/14-15 पक्षकार रामरामीग विरुद्ध लाडली निशान्त आपत्तिकर्ता मे पारित आदेश दिनांक 12/9/2017 ते पारित आदेश से परिवेदित होकर सम्माननीय न्यायालय के लगात निव्वजित आधारो पर प्रस्तुत करते है :-

॥ पुनरीक्षण के आधार ॥

- 1- यहकि अधीकरण न्यायालयो द्वारा पारित आदेश विहि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से विरस्त लिखा जाना व्याख्यात है ;
- 2- यहकि ऐसोइले के द्वारा गाननीय अधिनस्थ न्यायालय आदब तहसीलादार नस्यावलो सागर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था जिसमें मौजा

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / सागर / भू.रा./ 2018 / 0692

निशान्त जैन विरुद्ध रामसींग आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-०८-२०१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 107/अ-६-अ/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-९-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	  <p>(जैन विरुद्ध) सदस्य</p>